

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941 No. 318] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

सा.का.नि. 379(अ).—केंद्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13 की उप-धारा (1), धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 2019 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ .- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- (क) "अधिनियम" से बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) अभिप्रेत है;
- (ख) "खोजबीन-सह-चयन समिति" से नियम 3 में यथा निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनका अधिनियम में समनुदिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति .- (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति, उक्त सदस्यों के संबंध में उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफ़ारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
- (2) खोजबीन-सह-चयन समिति अपनी सिफ़ारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी।

2655GI/2019 (1)

- (3) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजबीन-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है।
- (4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-
- (i) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अध्यक्ष;
- (ii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग सदस्य;
- (iii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सदस्य ।
- **4. चिकित्सक दृष्टया योग्यता-**कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया जाए।
- **5. त्यागपत्र-** न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परंतु जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा त्याग पत्र में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से उसके पद त्याग करने की अनुज्ञा नहीं दे दी जाती है, तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास का अवसान नहीं हो जाता या जब तक उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक उसकी पदाविध का अवसान नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

- 6. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्य को हटाने के लिए जांच की प्रक्रिया- (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के किसी सदस्य के संबंध में अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) में यथा निर्दिष्ट किसी आरोप को अभिकथित करने वाली कोई लिखित शिकायत केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है तो बोर्ड ऐसी शिकायत की प्रारंभिक छानबीन करेगा।
- (2) यदि प्रारंभिक छानबीन के आधार पर बोर्ड की यह राय है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के किसी सदस्य के संबंध में किन्हीं आरोपों की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तब वह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इस निमित्त जांच संचालित करने के लिए गठित समिति को निर्देश करेगा।
- (3) समिति निर्देश की प्राप्ति की तारीख से बारह मास से अनधिक अवधि में ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जांच को पूर्ण करेगी:

परंतु जहां यह संभव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूर्ण किया जाए वहां समिति कारणों को अभिलिखित करते हुए केन्द्रीय सरकार से लिखित में समय को बढ़ाने की मांग कर सकेगी जो कि जांच पूरी करने के लिए एक बार में छह मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि अनुज्ञात कर सकेगी।

- (4) जांच की समाप्ति के पश्चात्, समिति प्रत्येक आरोपों पर पृथकत: अपने निष्कर्षों और उसके कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसे संप्रेक्षणों के साथ जो कि यह उपयुक्त समझे अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
- (5) समिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगी किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय नियत करने सहित स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।
- **7. वेतन और भत्ते.-** (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष को 1,82,200-2,24,100 रुपए वेतन का संदाय किया जाएगा और वह ऐसे भत्तों को आहरित करने का हकदार होगा जैसा कि ऐसे समान वेतन के पद को धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।
- (2) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्य को 1,44,200-2,18,200 रुपए वेतन का संदाय किया जाएगा और वह ऐसे भत्तों को आहरित करने का हकदार होगा जैसा कि ऐसे समान वेतन के पद को धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

- (3) उस मामले में, जहां कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो किसी पेंशन को प्राप्त करता है, वहां ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल रकम से कम कर दिया जाएगा ।
- 8. पेंशन, उपदान और भविष्य निधि--(1) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त भारतीय विधि सेवा के सदस्य या भारतीय राजस्व सेवा के सदस्य के मामले में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में की गई सेवा, उस सेवा के नियमों के अनुसार जिससे संबंधित वह है, पेंशन के लिए संगणित की जाएगी और वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960, अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अंशदायी पेंशन तंत्र, यदि वह ऐसे उपबंधों से अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्ति से पूर्व शासित होता है तो वह उनके द्वारा शासित होना जारी रहेगा।
- (2) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।
- 9. ख्रुट्टी-- (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।
- (2) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के सदस्य को एक कैलेंडर वर्ष में आठ दिवस से अनिधक आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
- (3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।
- (4) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का सदस्य, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पूर्ववर्ती सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम समेत, किसी भी मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीँ होगी, उसके खाते में अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा।
- 10. ख़ुट्टी स्वीकार करने वाला प्राधिकारी-- (1) छुट्टी स्वीकार करने वाला प्राधिकारी--
 - (क) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए केन्द्रीय सरकार होगी, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में, सदस्यों के लिए भी छुट्टी स्वीकार करने वाली प्राधिकारी होगी;
 - (ख) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के सदस्य के लिए अध्यक्ष होगा।
- (2) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की विदेश यात्रा के लिए केन्द्रीय सरकार मंजूरी प्राधिकारी होगी।
- **11. आवास**-- सदस्य साधारण पूल निवास आवास के आबंटन के पात्र नहीं होंगे किंतु वे समान वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों को स्वीकार्य दरों पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परंतु यदि सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास सरकारी आवास है जिसके लिए समान वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी पात्र हैं, तो वह न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में पद ग्रहण की तारीख से ऐसा आवास रखने के लिए अनुज्ञात होगा ।

- **12. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा—** न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अपनी आस्तियों, अपने दायित्वों और वित्तीय तथा अन्य हितों की घोषणा करेगा।
- **13. सेवा की अन्य शर्तै**--(1) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जो तत्स्थानी प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य हैं।
- (2) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का सदस्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष व्यवसाय नहीं करेगा।
- (3) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का सदस्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण में इन हैसियतों में कार्य करने के दौरान कोई माध्यस्थम कार्य नहीं करेगा ।
- (4) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का सदस्य, उस तारीख से जिसको वह पद पर नहीं रहता है, दो वर्ष की अवधि के लिए उस व्यक्ति के प्रबंधन या प्रशासन में या उसके संबंध में कोई नियोजन स्वीकार नहीँ करेगा जो न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही का पक्षकार रह चुका है:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी लागू नहीं होगी।

- **14. पद और गोपनीयता की शपथ**-- न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-1 और प्ररूप-2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
- **15.** शिथिल करने की शक्ति-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में शिथिल कर सकेगी।
- **16. निर्वचन**-- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चिय अंतिम होगा ।
- **17. व्यावृत्ति**-- इन नियमों की कई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों को प्रदान करने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य छुटों को प्रभावित नहीं करेगी।

प्ररुप-1

(नियम 14 देखें)

न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष /सदस्य के पद की शपथ का प्ररूप

मैं, अमुक सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं**/**ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं न्यायिनर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करुंगा तथा मैं संविधान और देश की विधियौं की मर्यादा बनाए रखूंगा।

प्ररुप-2

(नियम 14 देखें)

न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप।

मैं, अमुक सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय न्यायिनर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबिक न्यायिनर्णयन प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रकट नहीं करुंगा।

[अधिसूचना सं. 44/2019/फा.सं.370149/194/2017-टीपीएल] प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2019

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by section 68 read with sub-section (2) of section 9, sub-section (1) of section 13 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988) (hereafter referred to as 'the Act'), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prohibition of Benami Property Transactions (Conditions of services of Members of Adjudicating Authority) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–
- (a) "Act" means the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988);
- (b) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee as referred to in rule 3;
- (c) "section" means a section of the Act.
- (2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Method of recruitment.—** (1) The Member of the Adjudicating Authority shall be appointed by the Central Government, on the recommendation of the Search—cum—Selection Committee specified in sub-rule (4) in respect of the said members.
- (2) The Search–cum–Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation.
- (3) No appointment of Member of the Adjudicating Authority shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Search-cum-Selection Committee.
- (4) The Search-cum-Selection Committee for the post of the Member of the Adjudicating Authority shall consist of,—
- (i) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue Chairperson;
- (ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs Member;
- (iii) Chairperson, Central Board of Direct Taxes Member.
- **4. Medical fitness.**—No person shall be appointed as the Member of the Adjudicating Authority, unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government.
- **5. Resignation.** The Member of the Adjudicating Authority may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that he shall, unless permitted by the Central Government to relinquish his office from the date as specified in the resignation letter, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice by the Central Government or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

- 6. Procedure for inquiry for removal of Member of Adjudicating Authority. (1) If a written complaint is received by the Central Government, alleging any charge as referred to in clause (d) or clause (e) of the sub-section (1) of section 14 of the Act, in respect of a Member of the Adjudicating Authority, the Board shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
- (2) If on preliminary scrutiny, the Board is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any charges in respect of the Member of the Adjudicating Authority, it, with the approval of Central Government, shall make a reference to the Committee constituted in this behalf to conduct the inquiry.
- (3) The Committee shall complete the inquiry within such period, not exceeding the period of twelve months from the date of receipt of the reference, as may be specified by the Central Government.

Provided that where it is not possible to complete the inquiry within the period specified by the Central Government, the Committee may record the reasons and seek extension of time from Central Government in writing, which may allow an additional time not exceeding the period of six months for completion of inquiry, at a time.

- (4) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately along with such observations as it may deem fit.
- (5) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

- **7. Salary and allowances.** (1) The Chairperson of the Adjudicating Authority shall be paid a salary of Rs. 1,82,200-2,24,100 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government Officer holding post carrying the same pay.
- (2) The Member of the Adjudicating Authority shall be paid a salary of Rs. 1,44,200- 2,18,200 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government Officer holding post carrying the same pay.
- (3) In case a person, appointed as the Chairperson or a Member of the Adjudicating Authority, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
- **8. Pension, Gratuity and Provident Fund.** (1) In case of a member of the Indian Legal Service or a member of the Indian Revenue Service appointed to the post of the Chairperson or Member of the Adjudicating Authority, the service so rendered in the Adjudicating Authority shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be continued to be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System, if he was governed by such provisions before his appointment as the Chairperson or the Member.
- (2) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Adjudicating Authority.
- **9. Leave.** (1) The Member of the Adjudicating Authority shall be entitled to thirty days of earned Leave for every year of service.
- (2) The Casual Leave not exceeding eight days in a calendar year shall be granted to the Member of the Adjudicating Authority.
- (3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
- (4) The Member of the Adjudicating Authority shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.
- **10. Leave sanctioning authority.**—(1) Leave sanctioning authority,—
- (a) for Chairperson of the Adjudicating Authority shall be the Central Government, who shall also be sanctioning authority for Members, in case of absence of Chairperson;
- (b) for the Member of the Adjudicating Authority shall be the Chairperson.
- (2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairperson or the Member of the Adjudicating Authority.
- 11. Accommodation.-The Members shall not be eligible for allotment of general pool residential accommodation but they shall be entitled to draw house rent allowance at the rates as are admissible to other Central Government officers of equivalent pay:

Provided that if the person appointed as Member is already in occupation of Government accommodation for which Central Government officers of equivalent pay are eligible, he shall be allowed to retain such accommodation from the date of his joining the Adjudicating Authority.

- **12. Declaration of Financial and other Interests.** The Member of the Adjudicating Authority shall, before entering upon his office, declare his assets, his liabilities and financial and other interests.
- **13. Other conditions of service.** (1) The other conditions of service of the Member of the Adjudicating Authority with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Central Government Officer of a corresponding status.
- (2) The Member of the Adjudicating Authority shall not practice before the Adjudicating Authority after retirement from the service of the Adjudicating Authority.
- (3) The Member of the Adjudicating Authority shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the Adjudicating Authority.

(4) The Member of the Adjudicating Authority shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Adjudicating Authority:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

- **14. Oaths of office and secrecy.** Every person appointed to be the Member of the Adjudicating Authority shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form-I and Form-II annexed to these rules.
- **15. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **16. Interpretation.** If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.
- 17. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FORM-I

(See rule 14)

Form of Oath of Office for the Chairperson/Member of the Adjudicating Authority

I, A. B., having been appointed as Chairperson/Member of Adjudicating Authority do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson/Member of Adjudicating Authority to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM-II

(See rule 14)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson/Member of the Adjudicating Authority

I, A. B., having been appointed as the as Chairperson/Member of Adjudicating Authority do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/Member of Adjudicating Authority except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson/Member of Adjudicating Authority.

[Notification No. 44/2019/F.No. 370149/194/2017-TPL] PRAVIN RAWAL, DIRECTOR (Tax Policy & Legislation)